

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक  
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. से.शि / 2025 / 427

प्रकरण सं:- 286/2025  
दिनांक:- 30/10/25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खुंफा वगलविंद व मू.अ. नि. खुंफा वगलविंद की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खान्चीडा तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 27 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>खान्चीडा</u>	<u>2)</u>	<u>468/287</u> <u>550/365</u>	<u>ओमाराम</u> <u>S/O</u> <u>खेमराम</u>	<u>ओमप्रकाश</u> <u>S/O</u> <u>खेमराम</u>

समदरसिंह भाटी

(समदरसिंह भाटी)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी

दिनांक:- 30/10/25

क्रमांक:- सम. / 2025 / 428-430

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल

दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।

2. प्रार्थी ओमप्रकाश S/O खेमराम खान्चीडा तहसील सिणधरी को सूचनाथ।

3. रक्षित पत्रावली।



समदरसिंह भाटी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी